

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं०सं०-मं०मं०-०१/आर.-२२/२००८.....

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

पटना-१५, दिनांक- दिसम्बर, २००८

विषय:-

पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का आकस्मिक एवं प्रतिबंधित अवकाश के स्वीकृति के स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक-६२९ दिनांक-११.११.०८

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-६०२ दिनांक-२०.०३.०७ की चतुर्थ अनुसूची की कंडिका-ख (१) में आकस्मिक एवं प्रतिबंधित अवकाश की स्वीकृति हेतु शक्ति प्रत्यायोजित है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय प्रधान के अधीनस्थ पदाधिकारी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग कैसे करें, इसके लिए कार्यालय प्रधान कोई सामान्य मार्गदर्शन दे सकते हैं। मार्गदर्शन दिए जाने पर' वैसे मार्गदर्शन के अधीन ही अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

विश्वासभाजन


ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-०१/आर.-२२/२००८.....^{१६} दिनांक-^{५/१/०९}.....

प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


५.१.०९
(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

०८